फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– सुश्री विद्या तंवर **बनाम** **विपक्षी :– बंशीलाल वगैरह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 47/19**

जीसीएमएस : 2019/00157

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 29.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके दादाजी बंशीलाल को उनके पिता छगना से प्राप्त हुई है इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का जन्म से ही अधिकार है। परन्तु प्रार्थीया द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही कर केवल मात्र मौखिक कथन किया है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम विजनवास की नकल जमाबंदी संवत 2066–69 की प्रति पेश की गई जिसमें वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 का नाम हिस्सेनुसार दर्ज है तत्पश्चात सहमति विभाजन करवाने पर वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार हक से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित है या नही यह बिन्दु तो मूल वाद में साक्ष्य से तय किया जायेगा। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को कैसे प्राप्त हुई इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया को मौके से बेदखल करने का प्रयास किया हो या प्रकरण में वर्णित भूमि का विक्रय किया हो। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का तन्हा खाातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्ध साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:47:47 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली